## [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2016

S.O	(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section
1 of the Compa	nies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints $7^{\mathrm{th}}$
	6 as the date on which the provisions of section 124, sub-sections (1)
	respect to the manner of administration of the Investor Education and
Protection Fund	and (8) to (11) of section 125 of the said Act shall come into force.

[F.No. 5/27/2013-IEPF (Part)]

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary

## (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

## भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांकः 5 सितंबर, 2016

का.आ.....(अ).- केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 सितंबर, 2016 को वह तारीख नियुक्त करती है जबिक उक्त अधिनियम की धारा 124, धारा 125 की उपधारा (1) से (4), (6) [विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि के प्रशासन की रीति के संबंध में] और उपधारा (8) से (11) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 5/27/2013-आईईपीएफ(पार्ट)]

अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव